# रायपुर विकास प्राधिकरण

भक्त माता कर्मा व्यावसायिक परिसर
न्यू राजेन्द्रनगर, रायपुर (छत्तीसगढ़)

## अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना

(क्रमांक– 20 दिनांक 24.08.2026)

रायपुर विकास प्राधिकरण की भक्त माता कर्मा परिसर योजनांतर्गत स्थित पार्किंग स्थल को संचालन के लिए ठेके पर दिया जाना हैं। इस हेतु पात्रता रखने वाले इच्छुक व्यक्तियों से दिनांक **08.09.2026** को अपरान्ह 4.00 बजे तक निर्धारित प्रपत्र में मुहरबंद निविदाएँ आमंत्रित की जाती हैं। जो उसी दिन अपरान्ह 4:30 बजे खोली जावेगी। निविदा प्रपत्र एवं विस्तृत शर्तें प्राधिकरण कार्यालय में सहायक अधीक्षक (तक.) से शासकीय कार्य दिवसों में रु. 1000/– (एक हजार रुपये मात्र) नगद जमा कर दिनांक **07.09.2026** को अपरान्ह 1:30 बजे तक प्राप्त किया जा सकता हैं। धरोहर राशि के मद में रू. 10,000/– "एफ.डी.आर." के रूप में देय होगा। उक्त आमंत्रण सूचना वेबसाइट **https://rdaraipur.cgstate.gov.in** में तथा संशोधन भी देखा जा सकता है।

कार्यपालन अभियंता
रायपुर विकास प्राधिकरण
रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्र.3041/मिस/टी.एस./94/26/III/विप्रा/26 रायपुर दिनांक ...../08/2026

प्रतिलिपि :–

1. मुख्य अभियंता, रायपुर विकास प्राधिकरण, रायपुर को सूचनार्थ।
2. अधीक्षण अभियंता, रायपुर विकास प्राधिकरण, रायपुर को सूचनार्थ।
3. समस्त कार्यपालन अभियंता, रायपुर विकास प्राधिकरण, रायपुर को सूचनार्थ एवं प्रसार–प्रचार हेतु अग्रेषित।
4. कार्यालयीन सूचना पटल में चस्पा हेतु।
5. मेसर्स **निम्नानुसार** रायपुर को प्रेषित। आपसे यह अपेक्षा की जाती है कि आप कृपया निर्धारित तिथी तक निविदा प्रपत्र प्राप्त कर आपनी निविदा दरें प्रस्तुत करें।
6. एम.आई.एस. शाखा प्रभारी रायपुर विकास प्राधिकरण को सूचनार्थ एवं कृपया वेबसाईट पर अपलोड करें।

कार्यपालन अभियंता
रायपुर विकास प्राधिकरण
रायपुर (छ0ग0)

G:\Year 2013 (Prat-IIV)\diwan sir -5-\NIT &;PARKING\NIT.docx

# कार्यालय, रायपुर विकास प्राधिकरण, रायपुर (छत्तीसगढ़)

## भक्त माता कर्मा व्यावसायिक परिसर योजनांतर्गत स्थित पार्किंग स्थल के ठेके की शर्तें

रायपुर विकास प्राधिकरण, की **भक्त माता कर्मा व्यावसायिक परिसर** योजनांतर्गत वाहन के पार्किंग स्थल हेतु निविदा के माध्यम से एक वर्ष की अवधि (2026--27) के लिए ठेके पर दिया जाना है। इस हेतु निविदा प्रपत्र प्राधिकरण कार्यालय में नगद राशि रू. 1000/– का भुगतान कर प्राप्त किया जा सकता है।

**–: निविदा की शर्तें :–**

1. (अ) निविदादाता को निविदा प्रपत्र के साथ शासकीय/अर्धशासकीय संस्था में विगत 03 वर्षो का वाहन के पार्किंग कार्यो के सफलतापूर्वक संचालन का अनुभव प्रमाण पत्र जमा करना होगा।
   (ब) निविदादाता छत्तीसगढ़ का नागरिक होना चाहिए।
   (स) निविदादाता को पैन कार्ड व आधार कार्ड की प्रति जमा करना अनिवार्य होगा।
   (द) निविदादाता निविदा प्रपत्र की कंडिका–10 में पार्किंग ठेका हेतु मूल प्रस्ताव की राशि अंकित करेगा। इसमें **TCS 2% & GST 18%** मूल प्रस्ताव के अतिरिक्त देय होगा।
   (य) निविदा प्रपत्र को संपूर्ण रूप से भरा जाए। इसमें निविदादाता अपनी रंगीन फोटो लगाए।
   (र) निविदा प्रपत्र तथा समस्त संलग्न दस्तावेजों के हर पेज पर निविदादाता हस्ताक्षर कर निविदा बाक्स में डाला जाएगा।
   (ल) संपूर्ण रूप से भरी गई निविदा समस्त दस्तावेजों के साथ सील कर प्राधिकरण कार्यालय के सहायक अधीक्षक (तकनीकी) के कक्ष में रखे गए निविदा बाक्स में डाली जा सकती है।
   (व) निविदा डाले जाने की तिथि को साय: 04:30 बजे प्राधिकरण कार्यालय में खोली जाएगी।
   (ई) निविदादाता का निविदा पत्र व अन्य जमा किए जाने वाले सभी दस्तावेजों के हर पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर जमा करना होगा।
2. पार्किंग स्थल के ठेके हेतु आरक्षित राशि रू. 1,52,400/– (रूपये एक लाख, बावन हजार, चार सौ) है। निविदादाता को आरक्षित राशि से अधिक राशि का प्रस्ताव देना होगा। इससे कम राशि का प्रस्ताव स्वीकार नहीं होगा।

2 (अ) **TCS 2% & GST 18%** अनिवार्य रूप से देय होगा, निविदादाता इसे अपने मूल प्रस्ताव (आरक्षित मूल्य से अधिक) में न जोड़े।

3. स्वीकृत निविदादाता की धरोहर राशि रू. 10,000/– (दस हजार रू.) बैंक का एफ. डी.आर. ठेके की अवधि तक रायपुर विकास प्राधिकरण कार्यालय में जमा रहेगी तथा ठेका समाप्त होने पर वापस होगी बशर्ते कि प्राधिकरण को ठेकेदार से कोई बकाया लेना नहीं रहता हो।
4. पार्किंग का ठेका जिस व्यक्ति या फर्म द्वारा लिया जाएगा उसे स्वयं ही संचालित करना होगा। पार्किंग ठेकेदार किसी अन्य को पार्किंग स्थल का कार्य किराये/उप किराये संचालन के लिए नहीं देगा और ना ही इसकी अनुमति दी जाएगी।
5. उच्चतम दर के प्रस्ताव को ही ठेका दिया जाएगा। निविदा स्वीकार करने अथवा अस्वीकृत करने का संपूर्ण अधिकार, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, रायपुर विकास प्राधिकरण, रायपुर को होगा। आरक्षित ठेके की राशि से कम राशि का प्रस्ताव (ऑफर) स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
6. जिस निविदादाता की दरें स्वीकृत की जावेगी उनसे अधिकतम बोली की पूरी राशि सूचना प्राप्ति के 10 दिनों के भीतर (अवकाश अवधि को छोड़कर) नगद/बैंक ड्राफ्ट

(चेक स्वीकार नहीं होगा) द्वारा प्राधिकरण कोष में जमा करने के उपरांत अनुबंध निष्पादित कर पार्किंग संचालन का आदेश जारी किया जाएगा।

7. निविदादाता को उनके द्वारा पार्किंग स्थल के संचालक हेतु दी गई दर स्वीकृत होने के पश्चात् स्वय के व्यय पर रू. 100/— के "नॉन ज्यूडिसियल स्टॉम्प पेपर" पर रायपुर विकास प्राधिकरण से अनुबंध करना होगा। उसके बाद ही पार्किंग स्थल संचालन के लिए स्थल का भौतिक कब्जा योजना के सहायक अभियंता द्वारा दिया जावेगा।

8 अनुबंध निष्पादन के उपरांत निविदादाता को पार्किंग ठेकेदार कहा जाएगा।

8. (अ) प्राधिकरण द्वारा पार्किंग स्थल पर वाहन पार्किंग के लिए निम्नानुसार राशि निर्धारित की जाती है:—

| क्रं. | वाहन | पर्ची का रंग | दर (रूपये में) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 8 घंटे तक | 16 घंटे तक | 24 घंटे तक | मासिक |
| 01 | सायकल | पीला | रु. 5/— | रु. 8/— | रु. 10/— | रु. 125/— |
| 02 | मोपेड, स्कूटर, मोटरसाईकिल, रिक्शा, हाथ ठेला इत्यादि | गुलाबी | रु. 10/— | रु. 15/— | रु. 20/— | रु. 250/— |
| 03 | कार, वैन, जीप, ऑटो, टाटा मैजिक इत्यादि | नीला | रु. 20/— | रु. 30/— | रु. 40/— | रु. 500/— |

(ब) उपरोक्तानुसार निर्धारित राशि से अधिक राशि लिये जाने की शिकायत पर प्राधिकरण द्वारा अनुबंध निरस्त कर पार्किंग का ठेका समाप्त कर दिया जायेगा।

(स) पार्किंग स्थल पर वाहन पार्किंग की दरों के 2 सूचना बोर्ड आकार 2 X 3 में पार्किंग ठेकेदार को स्वयं के व्यय से लगाना होगा।

9. पार्किंग ठेकेदार स्वयं के व्यय से वाहन पार्क करने वाले हर व्यक्ति को मुद्रित टोकन पर्ची देगा। पर्चियां दो भागों में होगी। पहला भाग वाहन मालिक/चालक को देना होगा व दूसरा भाग पार्किंग ठेकेदार के पास रहेगा। टोकन पर्चियों को पार्किंग ठेकेदार द्वारा वाहन का नंबर, दिनांक व समय लिख कर देना होगा। टोकन पर्चियों में शुल्क का उल्लेख करना होगा ताकि वाहन पार्किंग करने वाला व्यक्ति पार्किंग की दरों से अवगत हो सके। वाहन पार्किंग निविदा की शर्तो की कंडिका (9) में उल्लेखित दरों में क्रं. 1 से 3 के लिए अलग रंग की टोकन पर्चियां मुद्रित छपवानी होगी। टोकन पर्चियों का प्रारूप प्राधिकरण के कार्यपालन अभियंता से अनुमोदित कराना होगा।

10. पार्किंग ठेकेदार को रायपुर विकास प्राधिकरण, रायपुर द्वारा निर्धारित की गई भूमि पर ही सायकल, मोपेड, स्कूटर, मोटरसाईकिल, रिक्शा, हाथ ठेला, कार, वैन, जीप, ऑटो, टाटा मैजिक इत्यादि रखने हेतु पार्किंग स्थल का उपयोग करना होगा। बड़े ट्रकों/डम्फर इत्यादि की पार्किंग स्थल पर खड़ा किया जाना प्रतिबंधित होगा। वाहन पार्किंग के अतिरिक्त अन्य कार्यो के लिए पार्किंग स्थल का उपयोग नहीं किया जायेगा

11. पार्किंग स्थल पर सायकल, मोपेड, स्कूटर, मोटरसाईकिल, रिक्शा, हाथ ठेला, कार, वैन, जीप, ऑटो, टाटा मैजिक इत्यादि का देखभाल व सुरक्षा की पूर्ण जवाबदारी पार्किंग ठेकेदार की होगी। इसके लिए रायपुर विकास प्राधिकरण का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा। किसी व्यक्ति के वाहन की पार्किंग से चोरी

होने/क्षतिग्रस्त होने की दशा में इसकी भरपाई क्षतिपूर्ति की जवाबदारी पार्किंग ठेकेदार पर ही होगी। इसके लिए रायपुर विकास प्राधिकरण उत्तरदायी नहीं होगा।

12. पार्किंग संचालन के दौरान किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने या किसी की अपंगता, मृत्यु होने की समस्त जिम्मेदारी, क्षतिपूर्ति, मुआवजा इत्यादि का भुगतान पार्किंग ठेकेदार द्वारा ही दिया जाएगा।

13. पार्किंग ठेकेदार की यह बाध्यता होगी कि वह अपराधिक चरित्र/आपराधिक प्रवृति/न्यायालय द्वारा अपराध सिद्ध दोषी सजायाफ्ता कर्मचारियों को नियुक्त नहीं करें।

14. पार्किंग ठेकेदार द्वारा ठेके के नियमों एवं शर्तो का उल्लंघन करने पर रायपुर विकास प्राधिकरण द्वारा पहली बार में रू. 1000/— (एक हजार रूपये) व इसके बाद दो बार के उल्लंघन/गलतियों पर प्रति बार रू. 2000/— (दो हजार रूपये) का दंड/जुर्माना किया जाएगा। गलतियॉं बार—बार करने पर रू. 5000/— (पॉंच हजार रूपये) जुर्माना के साथ ठेका निरस्त भी किया जा सकेगा।

15. पार्किंग ठेकेदार को उक्त पार्किंग में किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा, दुर्घटना यथा (आगजनी, क्षति, चोरी नुकसान आदि) हेतु स्वयं के व्यय से जनरल इन्श्योरेंस कराना अनिवार्य होगा। इंशोरेंस के दस्तावेज कार्य आदेश के 30 दिवस के भीतर प्राधिकरण कार्यालय में जमा करना होगा।

16. प्राधिकरण के पार्किंग परिसर का पार्किंग ठेकेदार को नियमित रूप से साफ—सफाई किया जाना होगा।

17. सार्वजनिक अवकाशों के दिनों में भी पार्किंग स्थल संचालित किया जा सकेंगा।

18. पार्किंग ठेका अनुबंध केवल एक साल के लिए वैध होगा तथा प्राधिकरण एवं ठेकेदार की सहमति से इसमें अधिकतम 01 वर्ष की वृद्धि 10% (दस प्रतिशत) अतिरिक्त राशि के साथ की जा सकेगी।

19. पार्किंग ठेकेदार अथवा उसके कर्मचारियों द्वारा पार्किंग स्थल की संपत्ति को कोई नुकसान पहुंचाया जाता है तो उसका भुगतान ठेकेदार द्वारा किया जाएगा।

20. पार्किंग ठेकेदार द्वारा कार्य में नियोजित अधिनियम कर्मचारियों के संबंध में केन्द्र व राज्य सरकार के समय—समय पर लागू नियमों/करों इत्यादि का पालन करना होगा तथा नियमानुसार निर्धारित न्यूनतम वेतन व स्वत्वों का भुगतान करना होगा।

21 उपरोक्त शर्तो के साथ अनुबंध की किसी भी शर्त का उल्लंघन करने की स्थिति में रायपुर विकास प्राधिकरण रायपुर द्वारा पार्किंग ठेकेदार को दंड/जुर्माना तथा अनुबंध निरस्त कर ठेका समाप्त किया जा सकेगा।

22. रायपुर विकास प्राधिकरण में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों से कोई पार्किंग शुल्क नहीं लिया जायेगा। तथा संबंधित दुकानदारों से रू. 300/— प्रतिमाह लिया जायेगा।

कार्यपालन अभियंता<br>
रायपुर विकास प्राधिकरण<br>
रायपुर (छ.ग.)